प्रेस नोट

थाना एरच,झाँसी

दिनांक- 03.12.2025

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनाँक 02.12.2025 को थाना एरच पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 130/2025 धारा 69/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त कृष्णा कुमार पुत्र भजनलाल नि0 ग्राम भटपुरा थाना लहचूरा जिला झाँसी उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.12.2025 को वादिया की दाखिला तहरीर के आधार पर अभियुक्त कृष्णा उपरोक्त द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर करीब 5-6 वर्षो से शारीरिक सम्बन्ध बनाना व वादिया का वीडियो काल करते समय वीडियो बना लेना व वीडियो वायरल करने की धमकी देना व वादिया द्वारा अभियुक्त के जीजा को उपरोक्त घटना के बारे मे शिकायत करने पर, अभियुक्त उपरोक्त के जीजा, बहन व अभियुक्त के जीजा की बहन द्वारा गाली गालौज कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना एरच पर मु०अ०सं० 130/2025 धारा 69/352/351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त

कृष्णा कुमार पुत्र भजनलाल नि0 ग्राम भटपुरा थाना लहचूरा जिला झाँसी उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थानाध्यक्ष एरच डा0 श्री उदय प्रताप सिंह मय पुलिस टीम